कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 1516010 दिनांक 15-5-2015

पत्र संख्या-स0द0-ई संचरण -2015-16/ 255 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: मई 14 2015

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) / ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट)

वाणिज्य कर विभाग , उत्तर प्रदेश ।

शासन की व्यापारियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान किये जाने एवं प्रक्रिया को सरल करने की नीति के अन्तर्गत मुख्यालय स्तर से परिपत्र संख्या-स0द0-2014-15 कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1516006 दि0 29-4-2015 द्वारा रु0 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिये ऑनलाइन ई संचरण की व्यवस्था दि0 01-06-2015 से अनिवार्य रुप से लागू किया जाना प्रसारित किया गया है ।

विभाग में परिपत्र संख्या-1314057 दि0 07-10-2013 से वैकल्पिक रुप से ऑनलाइन ई संचरण व्यवस्था लागू की गयी थी जिसका व्यापारियों के द्वारा अधिकाधिक संख्या में उपभोग किया गया । इसके अतिरिक्त विगत चार वर्षो से विभाग के ऐसे पंजीकृत व्यापारी जिनका वार्षिक टर्नओवर रु0 50 लाख से अधिक है , के द्वारा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किया जा रहा है । इस प्रकार विभाग में पंजीकृत व्यापारी ऑनलाइन विभागीय माड्यूल से भलीभॉति परिचित हो गये हैं तथा इसका प्रयोग कर रहे हैं । व्यापारियों द्वारा ई संचरण व्यवस्था को उनके लिए और अधिक उपयोगी तथा सरल बनाने के दृष्टिगत दिये गये परामर्श के आधार पर माड्यूल में समय -समय पर संशोधन किये गये, इसी क्रम में समेकित रुप से कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415060 दि0 28-07-2014 जारी करते हुये प्रक्रिया को अत्यन्त सरल कर दिया गया है । दि0 01-06-2015 से रु0 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ऑनलाइन ई संचरण की व्यवस्था लागू करने से व्यापारियों को अनेक सुविधाएं स्वत: प्राप्त हो जाएंगी । उन्हें ई संचरण सुविधा की अर्हता प्राप्त करने हेतु केवल एक बार ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करने के उपरान्त आजीवन फार्म 38 प्राप्त करने हेतु कार्यालय नही आना पड़ेगा । व्यापारी किसी भी तिथि व समय पर अपने कम्प्यूटर सिस्टम से बिना कोई फार्म शुल्क अदा किये अपनी आवश्यकतानुसार ई संचरण टोकन जनरेट कर इसका उपभोग माल आयात करने हेतु कर सकेंगे । फार्मो के रख-रखाव हेतु व्यापारी को अलग से कोई अभिलेख रखने की आवश्यकता नही होगी । प्रयुक्त ई संचरण के आधार पर व्यापारी को ऑनलाइन केन्द्रीय फार्म सी प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी । उपर्युक्त ऑनलाइन व्यवस्था के उपभोग से व्यापारी के श्रम व समय की बचत होगी । व्यापारी के व्यापार एवं ऑनलाइन सुविधाओं की अपरिहार्य परिस्थतियों के दृष्टिगत कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1415077 दि0 01-10-2014 से करदाता व्यापारी को प्रत्येक त्रैमास कुल प्रयुक्त ई संचरण संख्या के 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 मुद्रित फार्म 38 कार्यालय से प्राप्त कर प्रयोग करने की सुविधा भी दे दी गयी है । व्यापारियों की सुविधा हेतु दो स्तरीय ई संचरण नम्बर जनरेट करने की व्यवस्था कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1515130 दि0 23-03-2014 से कर दी गयी है जिसके अन्तर्गत उ0 प्र0 राज्य की सीमा में प्रवेश के समय माड्यूल में वाहन संख्या भरने के उपरान्त अन्तिम ई संचरण नम्बर प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है ।

विगत में यह देखा गया है कि ऑनलाइन व्यवस्था में किसी परिवर्तन की स्थिति में उस परिवर्तन से पूर्णतया भिज्ञ न होने के कारण इससे प्रभावित व्यापारियों को माड्यूल का प्रयोग करने मे कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न होती है तथा प्रक्रिया बाधित होती है।

इस समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिया जाता है कि आप अपने जोन व सम्भाग स्तर पर वर्कशाप / ट्रेनिंग कैम्प का आयोजन दिनांक 01-06-2015 के पूर्व कराना सुनिश्चित करें , जिसमें I I A , NCCIA, UPPMA , NEA व चैम्बर आफ कामर्स आदि संघों जिनमें बड़ी संख्या में निर्माता / ट्रेडर व्यापारी सदस्य होते हैं , के कुछ सदस्यों को विशेष रुप से प्रशिक्षित किया जाये, जिससे वे अपने संघ से जुड़े सदस्यों की समस्याओं के निराकरण की अपनी आन्तरिक व्यवस्था तैयार कर सकें। इसके साथ ही 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों को भी प्रशिक्षित करने हेतु वर्कशाप /ट्रेनिंग कैम्प का आयोजन किया जाय। जिसमें उन्हें ई संचरण की ऑनलाइन व्यवस्था से अवगत कराया जाये।

उपर्युक्त के संबंध में आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1516006 दि0 29-4-2015 से प्रसारित व्यवस्था से अपने जोन के व्यापारीगण , व्यापारिक संघों एवं अधिवक्ता संघों को अवगत कराते हुये इलेक्ट्रानिक / प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करायें जिससे कि अनिवार्य रुप से आनलाइन ई संचरण की व्यवस्था रु0 50 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिये दिनांक 01-06-2015 से सुगमतापूर्वक लागू हो सके। प्रचार-प्रसार के मार्गदर्शक बिन्दुओं की सूची उपयोगार्थ संलग्न की जा रही है।

समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर व ज्वाइन्ट कमिश्नर (कारपोरेट) वाणिज्य कर इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

कृपया निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नक- यथोपरि।

14.5.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर , वाणिज्य कर ,
उत्तर प्रदेश ।

ई संचरण व्यवस्था के प्रचार-प्रसार के बिन्दु

- ❖ ई संचरण सुविधा लाभ उठाने हेतु व्यापारी को केवल एक बार ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415060 दि0 28-07-2014)
- ❖ बिना कार्यालय आये आवश्यकतानुसार ई संचरण टोकन ऑनलाइन उपलब्ध है। यह सुविधा चौबीसों घण्टे तथा अवकाश के दिनों में भी उपलब्ध है।
- ❖ ई संचरण टोकन 100 के गुणक में व्यापारी को उपलब्ध होंगे।
- ❖ करयोग्य माल के आयात हेतु ई संरचरण नम्बर दो भाग में जनरेट करने की व्यवस्था की गयी। प्रथम बार में 14 डिजिट का अंतरिम नम्बर जनरेट होगा तथा प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के पूर्व वाहन सं0 की ऑनलाइन प्रविष्टि कर 20 डिजिट का संपूर्ण विशिष्ट संचरण नम्बर जनरेट करने की व्यवस्था। (कम्प्यूटर परिपत्र सं0 1415130 दि0 23-03-2015)
- ❖ वाहन के पलटी होने अथवा खराब होने की दशा में वाहन संख्या परिवर्तन तथा समयावधि बढ़ाने की व्यवस्था। (कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1415060 दि0 28-07-2014)
- ❖ अपरिहार्य परिस्थितियों में मुद्रित फार्म कार्यालय से प्राप्त प्रयोग करने की सुविधा। (कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1415077 दि0 01-10-2014)
- ❖ समस्त सुविधायें वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश की वेब साइट http://comtax.up.nic.in पर उपलब्ध।
- ❖ वेब साइट http://comtax.up.nic.in पर इंटरनेट के माध्यम से सम्पर्क संभव।
- ❖ विभागीय वेब साइट पर ई संचरण हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त करने तथा ई संचरण सुविधा का उपभोग करने संबंधी समस्त जानकारी की पी0पी0टी0 फार्मेट में उपलब्ध।
- ❖ किसी भी समस्या के निराकरण हेतु 24x7 हेल्पलाइन नं0- 0522-2721944 व 0522-3312600 उपलब्ध।
- ❖ टोल फ्री नम्बर 18001805223 की सुविधा उपलब्ध।